



छत्तीसगढ़ शासन



प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24

आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग





प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24



छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग





छत्तीसगढ़ शासन

भार साधक मंत्री - माननीय श्री रामविचार नेताम

मंत्रालय

सचिव - श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा
संयुक्त सचिव - श्री एस. के. दुबे
वित्तीय सलाहकार - श्री प्रभात लकड़ा

संचालनालय

आयुक्त - श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI) रायपुर

संचालक - श्री पदुम सिंह एल्मा





विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
भाग - एक		
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2-3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4
4	विभाग के अधीन गठित आयोग/ मण्डल एवं अन्य समितियाँ	5-12
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	13-15
भाग - दो		
6	विभागीय बजट 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 (नवम्बर 2023 की स्थिति में)	16
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	17-23
भाग - तीन		
8	विभाग द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएँ	24-74
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	75-77
10	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	78-80
11	अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना	81-82
भाग - चार		
12	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	83-91
भाग - पांच		
14	फलैगशिप योजनाएं	92-104
भाग - छः		
16	सारांश	105-106






भाग - एक

छत्तीसगढ़ का मानचित्र



विभाग की संरचना





विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद-46, में सौंपे गए कर्तव्य "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए" संविधान के अनुच्छेद-244 एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास-यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं हैं। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन-प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किए जाने हैं।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए भी है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर सचिव का पद सृजित है। मंत्रालय स्तर पर सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा नोडल विभाग के रूप में



की जाती है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त होते हैं। आयुक्त मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल एवं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड घोषित हैं। इन विकासखण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पाकेट, 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 विशेष रूप से कमजोर जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।





विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति / जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों / योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आवंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम 2015 एवं संशोधन अधिनियम 2018, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन का अध्ययन तथा नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैज्ञानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।



विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते हैं। साथ ही इस परिषद् का सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र./एफ-20-2/2019/25-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक-23 जुलाई 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। जनजाति सलाहकार परिषद् में एक अध्यक्ष एवं अधिकतम 20 सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में जनजाति सलाहकार परिषद् के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-16-42/2022 /25-2 दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् नियम 2022के उपनियम-3 के प्रावधान अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-16-43/2022 /25-2 दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् नियम 2022के उपनियम-3 के प्रावधान अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद् के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 05.03.2019 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 55 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2023 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 87 बैठकें आयोजित की गई हैं।



5. छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य का रिक्त पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग हेतु राशि रू. 229.84 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रू. 229.84 पुनर्बाँटित की गई है।

6. छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य का रिक्त पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग हेतु राशि रू. 274.80 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रू. 274.80 लाख पुनर्बाँटित की गई है।

7. छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के सतत पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार वर्तमान में अध्यक्ष एवं सदस्य का रिक्त पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु राशि रू. 342.30 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रू. 342.30 लाख पुनर्बाँटित की गई है।

8. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य में अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरुद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग नियम 1996 की धारा-3 (2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य का पद स्वीकृत है। वर्तमान में अध्यक्ष एवं सदस्य का रिक्त पद रिक्त है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग हेतु राशि रू. 308.50 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रू. 308.50 लाख पुनर्बाँटित की गई है।

9. छ.ग. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज समिति गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था हज यात्रियों के आवेदन प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। कमेटी अंतर्गत वर्तमान में 13 सदस्यों का मनोनयन किया गया है, वर्तमान में श्री असलम खान, अध्यक्ष के पद पदस्थ हैं एवं श्री साजिद मेमन पदेन सचिव/सदस्य के रूप में पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य हज कमेटी हेतु राशि रू. 130.00 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रू. 130.00 लाख स्वीकृत की गई है।

10. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम-1995 के तहत निर्देशों का पालन मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड हेतु राशि रु. 150.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि रु. 150.00 लाख स्वीकृत की गई है।

11. छ.ग. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया है। अकादमी का कार्य छ.ग. राज्य में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को आर्थिक मदद करना आदि है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ.ग.राज्य उर्दू अकादमी हेतु राशि रु. 200.00 लाख का प्रावधान है, जिसमें से राशि रु. 80.00 लाख स्वीकृत की गई है।

12. वक्फ न्यायाधीकरण

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है। पीठासीन अधिकारी के पद पर श्रीमती किरण चतुर्वेदी (जिला न्यायाधीश) पदस्थ हैं तथा सदस्य श्री शकील अहमद, अधिवक्ता को मनोनीत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वक्फ न्यायाधीकरण हेतु राशि रु. 99.40 लाख का प्रावधान है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 99.40 लाख का आबंटन पुनर्बांटा किया गया है।

13. सर्वेक्षण आयुक्त :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ सर्वेक्षण गठित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सर्वेक्षण आयुक्त हेतु राशि रु. 6.97 लाख का प्रावधान है।

14. छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड :-

छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19-04/2021/25-1 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा किया गया है। छ.ग. राज्य तेलघानी योजनाओं के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, तेलघानी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंको से ऋणग्रस्त तेलघानी को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में तेलघानी को बढ़ावा देना तथा तेलघानी से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रुचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. राज्य तेलघानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ0ग0 तेलघानी विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 42.00 लाख पुनर्बांटा किया गया है।

15. छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड :-

छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग की



अधिसूचना क्रमांक/एफ 19-02/2021/25-1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। राज्य में लौह शिल्पकार को योजनाओं के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, लौह शिल्पकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋणग्रस्त लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढ़ावा देना तथा लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रुचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अन्तर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढ़ावा देना तथा लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के रुचि को प्रोत्साहन देना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 50.00 लाख पुनर्बाँटित की गई है।

16. छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड :-

छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19-01/2021/25-1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के माध्यम से चर्म शिल्पकार को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 20.00 लाख पुनर्बाँटित की गई है।

17. छ.ग. रजककार विकास बोर्ड :-

छ.ग. रजककार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19-03/2021/25-1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के द्वारा रजककार योजना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में छ.ग. रजककार विकास बोर्ड हेतु राशि रु. 50.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। प्रावधान के विरुद्ध राशि रु. 20.00 लाख पुनर्बाँटित की गई है।

18. छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गठित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य स्तर पर मान.मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अध्यक्ष होते हैं तथा अन्य विभाग के सचिवगण सदस्य होते हैं आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, समिति के पदेन सचिव होते हैं। संचालक मंडल की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाती है।

आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी/अनुसूचित जाति अंचलों के विकास हेतु वर्ष 2004 में प्राधिकरणों का गठन किया गया था। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 4-1/2019/एक/6, अटल नगर रायपुर दिनांक 27.02.2019 के द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों का पुनर्गठन एवं छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-4-3/2020/एक/06, अटल नगर रायपुर, दिनांक 26.08.2020 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का पुनर्गठन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :-

- अ. बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- ब. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- स. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
- द. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

उद्देश्य :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

गठन एवं विस्तार :-

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बस्तर संभाग के राजस्व जिले क्रमशः- बस्तर, कोंडागांव, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, एवं सुकमा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त बस्तर संभाग है, तथा मुख्यालय जगदलपुर है।

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1920 कार्य हेतु राशि रु. 5500.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है। आबंटित राशि के विरुद्ध 2950.39 लाख माह नवम्बर 2023 तक व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित





राशि रू. 5500.00 लाख जारी किया गया है। इसके विरुद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रू. 298.91 लाख व्यय किया गया, जिसमें से अब तक कुल 1554 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण राजस्व जिले क्रमशः— सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर—रामानुजगंज, जशपुर एवं कोरिया जिला है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त सरगुजा संभाग है, तथा मुख्यालय अम्बिकापुर है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में 783 कार्य हेतु राशि रू. 3500.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है। आबंटित राशि के विरुद्ध 2374.41 लाख माह नवम्बर 2023 तक व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3500.00 लाख जारी किया गया है। इसके विरुद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रू. 560.67 लाख व्यय किया गया, जिसमें से अब तक कुल 704 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा के अतिरिक्त जिला क्रमशः— गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलोदाबाजार— भाटापारा, बालोद, राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित है। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य सचिव आयुक्त रायपुर संभाग है, तथा मुख्यालय रायपुर है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में 491 कार्य हेतु राशि रू. 3300.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है। आबंटित राशि के विरुद्ध 2183.30 लाख माह नवम्बर 2023 तक व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3300.00 लाख जारी किया गया है। इसके विरुद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रू. 977.92 लाख व्यय किया गया, जिसमें से अब तक कुल 471 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिन ग्रामों, पारा, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, यहां कार्य लिये जाते हैं।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में 704 कार्य हेतु राशि रू. 3550.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है। आबंटित राशि के विरुद्ध 2364.31 लाख माह नवम्बर 2023 तक व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023—24 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल प्रावधानित राशि रू. 3550.00 लाख जारी किया गया है। इसके विरुद्ध निर्माण कार्य एवं हितग्राही मूलक कार्यों हेतु राशि रू. 428.42 लाख व्यय किया गया, जिसमें से अब तक कुल 635 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।



विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण

छ.ग. राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर निवासरत है। इनके लिये समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार गठन किया गया है :-

क्र.	जिला	विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
1	2	3
1	कबीरधाम	बैगा विकास अभिकरण – कबीरधाम
2	मुंगेली	बैगा विकास प्रकोष्ठ – मुंगेली
3	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव
4	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	बैगा विकास प्रकोष्ठ – बैकुंठपुर
5	बिलासपुर	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – बिलासपुर
6	सरगुजा	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण – अम्बिकापुर
7	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ – बलरामपुर
8	जशपुर	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – जशपुर
9	कोरबा	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – कोरबा
10	रायगढ़	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – धरमजयगढ़
11	गरियाबंद	कमार विकास अभिकरण – गरियाबंद
12	धमतरी	कमार विकास प्रकोष्ठ – नगरी
13	कांकेर	कमार विकास प्रकोष्ठ – भानुप्रतापपुर
14	महासमुंद	कमार विकास प्रकोष्ठ – महासमुंद
15	नारायणपुर	अबूझमाड़ विकास अभिकरण – नारायणपुर
16	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	बैगा विकास अभिकरण – गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही

छत्तीसगढ़, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. के आदेश क्र./एफ-20-05/2013/25-2 दिनांक 14.09.2022 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर जिला-बिलासपुर के क्षेत्राधिकार का परीसीमन करते हुए नवीन विशेष रूप से कमजोर जनजाति बैगा विकास अभिकरण गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, बिलासपुर का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 06 अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ गठित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये पीव्हीटीजी स्कीम अंतर्गत राशि रु. 6389.341 लाख की कार्ययोजना प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई है जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है।



माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा राज्य की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सदस्यों के साथ राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कार्यक्रम



राज्य की विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सदस्यों का संसद भवन का भ्रमण कार्यक्रम

पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :-

राज्य शासन द्वारा घोषित 02 विशेष रूप से कमजोर जनजाति पण्डो एवं भुंजिया के समग्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूरजपुर में पण्डो विकास अभिकरण तथा गरियाबंद में भुंजिया विकास अभिकरण का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इनके लिये राज्य आयोजना मद से राशि रु. 110.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है।



महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1. राज्य का क्षेत्रफल	135192 वर्ग कि.मी.
1.1 राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्ग कि.मी.
1.2 राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	91253 वर्ग कि.मी.
1.3 राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत	67.50 प्रतिशत
2. जनगणना (2011)	
2.1 कुल जनसंख्या	255.45 लाख
2.2 अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
2.3 अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3. (अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)	
3.1 औसत	70.28%
3.2 पुरुष	80.27%
3.3 महिला	60.24%
(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)	
3.1 औसत	59.09
3.2 पुरुष	69.67
3.3 महिला	48.76
(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)	
3.1 औसत	70.76
3.2 पुरुष	81.66
3.3 महिला	59.86
4. राजस्व जिला	28
4.1 पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	16
4.2 आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	05
4.3 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले	28



5.	आदिवासी विकासखंड	85
6.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	19
7.	माडा पाकेट	09
8.	लघु अंचल	02
9.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास अभिकरण (पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरणों सहित)	08
10.	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास प्रकोष्ठ	10

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दो, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला (वर्तमान में जिला कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिला)
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के (वर्तमान में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला) मरवाही, गौरेला-1 एवं गौरेला-2 आदिवासी विकासखण्ड एवं बिलासपुर जिले का सामुदायिक विकासखंड कोटा का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव (वर्तमान में जिला अम्बागढ़ चौकी-मानपुर-मोहला)
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।



प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1. जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6. कोन्टा		
7	बीजापुर	7. बीजापुर		
8	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9	बलौदाबाजार		1. बलौदाबाजार	1. धुरीबांधा
10	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11	महासमुंद		3. महासमुंद-1 4. महासमुंद-2	
12	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13	मोहला-मानपुर-अ. चौकी	11. मोहला-मानपुर-अ. चौकी		
14	कबीरधाम		5. कबीरधाम	
15	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14. पाल		
18	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16. कोरबा		
20	बिलासपुर	17. गौरेला		
21	गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही			
22	मुंगेली			
23	सक्ती		6. रूगजा	
24	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	7. गोपालपुर	
25	जशपुर	19. जशपुरनगर		
26	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई		8. नचनिया	2. बछेराभाटा
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़		9. सारंगढ़	







भाग - दो





विभागीय बजट

विभागीय बजट (2021-22) मार्च 2022 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	159521.97	102784.34	64.43
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	53533.86	36935.64	68.99
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	18536.60	13698.09	73.90
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14124.72	10741.42	76.05
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	222.30	108.82	48.95
योग :-		245939.45	164268.31	66.79

विभागीय बजट (2022-23) मार्च 2023 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	185297.13	145446.68	78.49
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	41722.35	24828.62	59.51
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	33374.92	3401.32	10.19
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14064.16	11063.34	78.66
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	254.10	179.06	70.47
योग :-		274712.66	184919.02	67.31

विभागीय बजट (2023-24) नवम्बर 2023 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	184569.73	78594.22	42.58
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	44098.37	13282.43	30.12
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	54410.02	13508.69	24.83
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	16782.10	7890.37	47.02
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	274.80	105.79	38.50
योग :-		300135.02	113381.50	37.78



विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाएं

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24			
		बजट प्रावधान	उप	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	उप	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	उप	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	8400.00	5562.09	छात्र/छात्राएं	60741	8400.00	5562.09	छात्र/छात्राएं	60741	12626.00	6899.17	छात्र/छात्राएं	76623
2	छात्रावास योजना	7700.00	4053.15	छात्र/छात्राएं	45035	7700.00	4053.15	छात्र/छात्राएं	45035	10488.00	7164.71	छात्र/छात्राएं	68640
3	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1700.00	1135.29	नियमित 09 संस्था	नियमित 09 संस्था	1800.00	1235.94	नियमित 09 संस्था	नियमित 09 संस्था	1816.29	1234.63	छात्र/छात्राएं	नियमित 09 संस्था
4	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	1000.00	535.37	छात्र/छात्राएं	587	1000.00	217.95	छात्र/छात्राएं	690	1000.00	870.60	छात्र/छात्राएं	713
5	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	14445.00	11229.47	53 भवन	53	12001.00	5975.98	356	28	21282.50	-	-	-
6	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्टे आदिवासी सेवा सम्मान	9.00	4.00	व्यक्ति/संस्था	2	5.00	4.70	व्यक्ति/संस्था	2	5.00	-	-	-
7	छात्र भोजन सहाय योजना	1300.00	1033.34	छात्र/छात्राएं	14749	1300.00	1033.34	छात्र/छात्राएं	14749	2238.00	1131.39	छात्र/छात्राएं	19317
8	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	143.00	143.00	छात्र/छात्राएं	17698	143.00	148.00	छात्र/छात्राएं	17698	143.00	85.80	छात्र/छात्राएं	-
9	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	2880.00	2880.00	छात्र/छात्राएं	120525	2800.00	2800.00	छात्र/छात्राएं	120525	2400.00	1800.00	छात्र/छात्राएं	178061
10	युवा कॅरिअर निर्माण योजना	466.00	23.24	छात्र/छात्राएं	प्रक्रियाधीन	466.00	387.12	विद्यार्थी	450	467.00	336.68	छात्र/छात्राएं	450
11	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	3420.30	1250.00	छात्र/छात्राएं	1999	2763.00	1599.47	विद्यार्थी	4142	4336.50	1745.72	छात्र/छात्राएं	4663
12	आर्यभट्ट वाणिज्य/विज्ञान विकास केन्द्र	222.00	61.03	छात्र/छात्राएं	593	222.00	49.00	विद्यार्थी	624	2635.00	199.60	छात्राएं	616

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	395.00	286.29	छात्र/छात्राएं	2280.00	395.00	286.29	छात्र/छात्राएं	2280	2613.00	1321.38	छात्र/छात्राएं	3039
2	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	163.00	114.99	नियमित 01 संस्था	नियमित 01 संस्था	173.00	120.00	नियमित 01 संस्था	-	163.00	120.00	छात्र/छात्राएं	नियमित 01 संस्था
3	विशेष शिक्षण केंद्र द्यूशन योजना	55.00	55.00	छात्र/छात्राएं	4962.00	55.00	55.00	छात्र/छात्राएं	4962	55.00	33.00	छात्र/छात्राएं	-
4	छात्रावास योजना	1742.00	909.81	छात्र/छात्राएं	8485.00	1742.00	809.81	छात्र/छात्राएं	8485	600.00	417.29	छात्र/छात्राएं	15256
5	छात्र भोजन सहाय योजना	388.00	290.95	छात्र/छात्राएं	4135	388.00	290.95	छात्र/छात्राएं	4135	650.00	331.03	छात्र/छात्राएं	4933
6	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	420.00	297.65	छात्र/छात्राएं	289	420.00	95.36	छात्र/छात्राएं	341.00	420.00	411.73	छात्र/छात्राएं	359
7	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	450.00	450.00	छात्र/छात्राएं	14900	450.00	450.00	छात्र/छात्राएं	14900	300.00	225.00	छात्र/छात्राएं	23228
8	युवा कैरियर निर्माण योजना	52.60	-	छात्र/छात्राएं	प्रक्रियाधीन	52.60	42.30	छात्र/छात्राएं	100.00	52.60	25.15	छात्र/छात्राएं	100

अन्य पिछड़ा वर्ग

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22				वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	युवा कैरियर निर्माण योजना	66.80	-	छात्र/छात्राएं	प्रक्रियाधीन	66.80	विद्यार्थी	100.00	100.00	66.80	33.80	100	100.00



(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24			
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक पूर्वाङ्क	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक पूर्वाङ्क	भौतिक उपलब्धि
1	नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रसार प्रसार			3.54	-	-	-	-	-	-	-
2	अपूर्यता निवारणार्थ आयोजन अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वास एवं अनुसूचण अनुदान	1335.00	370.70	1370.04	754	396.181	400.00	668.77	588.33	हिलपाही	593
4	अंतर्गजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना			2302.50	921	-	3900.00	-	864.00	दंपल्लि	455
5	अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय विकास	1389.00	100.80	100.80	-	-	-	1389.00	-	-	-
6	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	4100.00	2198.80	3890.00	ग्राम	4100.00	838.00	4000.00	-	-	-
7	अनुसूचित जनजाति पो.मै. छात्रवृत्ति	7680.00	4453.47	5937.96	छात्र/छात्राए	15708.00	9046.41	7200.00	4126.09	छात्र/छात्राए	स्त्री, की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
8	अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रवृत्ति	7614.00	2354.00	4664.00	छात्र/छात्राए	6000.00	2440.00	6000.00	-	छात्र/छात्राए	स्त्री, की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
9	अन्य पिछड़ा वर्ग पो.मै. छात्रवृत्ति	13600.00	1400.00	11716.58	छात्र/छात्राए	15000.00	0.00	48224.00	12000.00	छात्र/छात्राए	स्त्री, की कार्यवाही प्रक्रियाधीन



आदिवासी उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2021-22	1595.22	1027.84
2	2022-23	1852.97	1454.47
3	2023-234(माह नवम्बर 2023 की स्थिति में)	1845.70	785.94
योग :-		5293.89	3268.25

अनुसूचित जाति उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2021-22	535.34	369.36
2	2022-23	417.22	248.29
3	2023-24 (माह नवम्बर 2023 की स्थिति में)	440.98	132.82
योग :-		1393.54	750.47



(स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोगना)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24							
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि				
1	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	26000.00	31148.35	0.00	76	0	28380.00	7469.25	0.00	0	0	28400.00	0	0	0

विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोगना)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24							
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि				
1	स्वरोजगार योजना	2000.00	1789.12	1000.00	दिलगारी	5566.00	2000.00	-	177.95	दिलगारी	1797.00	2840.00	-	-	-
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि	7700.00	-	-	-	-	4700.00	-	2248.78	दिलगारी	61.00	5700.00	-	-	-



केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि लाख में)

योजना का नाम	वर्ष 2021-22					वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24				
	बजट प्रावधान	केंद्र से प्राप्त राशि	अप	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केंद्र से प्राप्त राशि	अप	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केंद्र से प्राप्त राशि	अप	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	244.00	0.00	92.50	04 इकाई	04 इकाई	250.00	103.55	99.79 (माघ नवम्बर 2022 के एम्डेनार अनुसार)	04 इकाई	04 इकाई					
आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	2750.00	996.90	269.64	10 कार्य संख्य	कार्य प्रगति पर	12925.00	1500.00	-	03 कार्य	कार्य प्रगति पर	12925.00	अप्रप्त	-		
अल्पसंख्यक प्री.मै. छात्रवृत्ति	11.00	-	-	छात्र/छात्राए	4476	11.00	-	-	छात्र/छात्राए	1002	11.00	-	-	छात्र/छात्राए	स्वी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
अल्पसंख्यक पो.मै. छात्रवृत्ति	10.00	-	-	छात्र/छात्राए	2745	10.00	-	-	छात्र/छात्राए	2801	10.00	-	-	छात्र/छात्राए	स्वी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	8.00	-	-	छात्र/छात्राए	518	8.00	-	-	छात्र/छात्राए	511	8.00	-	-	छात्र/छात्राए	स्वी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन



संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021-22					वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	जमा	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	जमा	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	जमा	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1) 5480	17000.00	11604.02	11104.02	1163	507	20200.00	13578.43	13562.43	-	-	22100.00	राशि अज्ञात	-	-	-



आदर्श संस्था 100 सीटर कन्या आश्रम शाला बागमुण्डी, पनेड़ा



भाग - तीन





विभाग के द्वारा संचालित शिक्षा संबंधी एवं अन्य प्रमुख योजनाएँ

योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.	योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.
➤ छात्रावास आश्रम योजना	25-26	आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधी योजनाएँ	
➤ ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण	28	➤ आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना	58
➤ छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना	28	➤ देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत योजना	58
➤ स्वस्थ तन-स्वस्थ मन योजना	29	➤ अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015	59-72
➤ छात्र भोजन सहाय योजना (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना	29	➤ यथा संशोधित अधिनियम-2018 अंतर्गत राहत योजना	
➤ खाद्यान्न सुरक्षा योजना	30	➤ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	73
➤ गुरुकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास	30-32	➤ मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण	73
➤ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना	33-43	➤ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	73
➤ विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय	44	➤ सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोककला महोत्सव	74
➤ पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	45	फलैगशिप योजनाएँ	
➤ क्रीड़ा परिसर योजना	46-47	➤ राजीव युवा उत्थान योजना एवं ट्रॉयबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली	92-93
➤ ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	48-50	➤ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री.मैडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना	94
➤ अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	51-55	➤ मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	95-101
रोजगार मूलक योजनाएँ		➤ आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना	102
➤ बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना	56	अन्य योजनाएं	
➤ हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना	56	➤ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	103
➤ निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	57	➤ आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्नयन	103-104
➤ रविदास चर्मशिल्प योजना	57		





छात्रावास आश्रम योजना

1. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की सांख्यिकीय जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2023-24 की स्थिति में
छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री. मैट्रिक	पो. मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	अनुसूचित जनजाति	1325	318	1173	2816	168383
2	अनुसूचित जाति	342	92	52	486	25757
3	अन्य पिछड़े वर्ग	8	47	0	55	3550
योग		1675	457	1225	3357	197690

अनुसूचित जनजाति छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2023-24

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री. मैट्रिक	894	431	1325	43796	24834	68630
2	पोस्ट मैट्रिक	155	163	318	9515	9820	19335
योग		1049	594	1643	53311	34654	87965

अनुसूचित जाति छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2023-24

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री. मैट्रिक	198	144	342	9126	7381	16507
2	पोस्ट मैट्रिक	48	44	92	2950	2510	5460
योग		246	188	434	12076	9891	21967



अनुसूचित जनजाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2023-24

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	68	80	148	4750	7772	12522
2	प्राथमिक आश्रम	645	380	1025	42696	25200	67896
योग		713	460	1173	47446	32972	80418

अनुसूचित जाति आश्रम
शैक्षणिक सत्र 2023-24

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	1	2	3	50	800	850
2	प्राथमिक आश्रम	25	24	49	1450	1490	2940
योग		26	26	52	1500	2290	3790

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास
शैक्षणिक सत्र 2023-24

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	पोस्ट मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
2	प्री. मैट्रिक	24	23	47	1600	1550	3150
योग		27	28	55	1750	1800	3350





2. ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण :-

प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015-16 से ऑनलाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रुपये 1500/- प्रदान की जाती है। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑनलाईन द्वारा किया जाता है। शिष्यवृत्ति की राशि राज्य स्तर से जिले के अधीक्षकों एवं छात्रावास नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित की जाती है। विद्यार्थियों के मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट के आधार पर विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समय की बचत तथा पारदर्शिता आई है। शिष्यवृत्ति मद में वर्ष 2023-24 हेतु प्रावधानित राशि रुपये 27786.60 है।

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आबंटन
1	2	3
1	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	10488.00
2	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	2613.00
3	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	12626.00
4	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	600.00
5	अन्य पिछड़ा वर्ग शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	80.60
6	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.ज.जा.	1202.00
7	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.जा.	152.00
8	विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम शिष्यवृत्ति	25.00
योग		27786.60

3. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे-गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सकें, विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडों पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2023-24 में इस हेतु 198.00 लाख प्रावधानित है।

4. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2023-24 में इस योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि रूपये 280.50 लाख है।



5. छात्र भोजन सहाय योजना :-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है।
- वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 700 /- में वृद्धि करते हुये राशि रूपये 1200 /- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किया गया है।
- योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रावधान की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ग	प्रावधान
अनुसूचित जाति	650.00
अनुसूचित जनजाति	2238.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	196.00
योग -	3084.00



6. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रारंभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास-आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ-साथ विशिष्ट संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/- के दर से प्रति विद्यार्थी प्रति माह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जाता है। स्टेट पुल के चावल का उठाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर लगभग राशि रूपये 28/- से 30/- का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ग	प्रावधान
1	अनुसूचित जाति	300.00
2	अनुसूचित जनजाति	2400.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	29.25
योग -		2729.25

7. शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण :-

बस्तर संभाग अंतर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन तथा सांस्कृतिक धरोहरो के संबंध में ज्ञानार्जनात्मक अभिरुचियों के विकास हेतु बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिले से विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत कक्षा 9वीं से 12वीं के अधिकतम 50 छात्र-छात्राओं का चयन किया जा कर शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण कराया जाता है। वर्ष 2023-24 में उक्त योजना हेतु 30.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2023-24 में शासन द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत बस्तर संभाग के साथ सरगुजा संभाग को भी सम्मिलित किया गया है।

8. गुरुकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास

अविभाजित म.प्र. में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि जैसे अन्य प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु सक्षम बनाकर उच्च सेवाओं में नियोजन के लिए तैयार कर एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना है। इस उद्देश्य से निर्मित इस योजनांतर्गत गुरुकुल विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय तथा कन्या शिक्षा परिसर योजना प्रारंभ की गई थी। योजनांतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर उत्थान एवं विशेषज्ञ शिक्षकों से अध्यापन कराया जाना है, साथ ही शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाना। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, संतुलित आहार आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इन विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक अध्यापन कराया जाता है, साथ ही विशेष कोचिंग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करायी जाती है।

वर्ष 2014-15 तक गुरुकुल उ.मा. विद्यालय, आदर्श उ.मा. विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र./एफ 1/2/2015/1/एक दिनांक 10.03.2015 द्वारा समस्त अमले सहित विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं का स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

उक्त सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश उपरान्त उक्त विशिष्ट संस्थाओं में से विद्यालय का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा तथा आवासीय भाग (छात्रावास) का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

गुरुकुल विद्यालय हेतु छात्रावास :- वर्तमान में विभाग द्वारा सामान्य छात्रावास गुरुकुल आदर्श विद्यालय पेण्ड्रारोड़ बिलासपुर संचालित है जिसमें 245 सीट स्वीकृत है।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु छात्रावास :-

विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें कक्षा 6वीं से 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया गया है, उक्त विद्यालयों में कुल 1795 सीट स्वीकृत है जिसमें शिक्षण सत्र 2023-24 में कुल 1427 बालक अध्ययनरत हैं। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	आदर्श उच्चतर माध्यमिक का नाम	स्वीकृत वर्ष	कुल स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	जशपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, जशपुर	2010-11	315	315
2	कोंडागांव	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, फरसगांव	2010-11	245	245
3	बालोद	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, डौंडी	2010-11	245	206
4	दन्तेवाड़ा	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, दन्तेवाड़ा	2010-11	245	186
5	कोरिया	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, बैकुण्ठपुर	2010-11	245	168
6	नारायणपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, नारायणपुर	2013-14	500	307
योग				1795	1427





कन्या शिक्षा परिसर हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 14 कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। उक्त विद्यालयों में कुल 4450 सीट्स स्वीकृत हैं। कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	कन्या शिक्षा परिसर का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	सरगुजा	कन्या शिक्षा परिसर, अंबिकापुर	2010-11	245	233
2	बलरामपुर	कन्या शिक्षा परिसर, राजपुर	2010-11	245	211
3	राजनांदगांव	कन्या शिक्षा परिसर, चौकी	2010-11	245	245
4	धमतरी	कन्या शिक्षा परिसर, दुगली	2010-11	345	345
5	दंतेवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर, पातररास	2011-12	450	274
6		नवीन कन्या शिक्षा परिसर, जावंगा	2014-15	500	226
7	सुकमा	कन्या शिक्षा परिसर, सुकमा	2011-12	450	400
8	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर, परचनपाल	2010-11	245	245
9		कन्या शिक्षा परिसर, भनपुरी	2013-14	245	158
10	सूरजपुर	कन्या शिक्षा परिसर, सूरजपुर	2013-14	245	211
11	कबीरधाम	कन्या शिक्षा परिसर, भोरमदेव	2013-14	245	237
12	बीजापुर	कन्या शिक्षा परिसर, बीजापुर	2013-14	245	209
13	कोण्डागांव	कन्या शिक्षा परिसर, बहीगांव	2013-14	245	235
14	नारायणपुर	कन्या शिक्षा परिसर, नारायणपुर	2014-15	500	431
योग				4450	3660



कन्या माध्यमिक शाला केन्द्री, राजनांदगांव



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) नई दिल्ली से केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से संचालित हैं। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो, इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। उक्त विद्यालय कक्षा 6वीं से 12वीं तक संचालित किया जाता है तथा वर्ष 2018-19 से विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। वर्तमान में 10 कन्या तथा 06 बालक एवं 58 संयुक्त इस प्रकार कुल 74 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 2022-23 में विद्यालयों में कुल 22860 सीट स्वीकृत हैं, जिसमें लगभग 22291 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन
छेरीबेड़ा जिला - नारायणपुर



एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन
पथरीडीह जिला - धमतरी

संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2023-24	74	22860	22291
2022-23	73	19380	19235
2021-22	71	15660	15581
2020-21	71	12240	11595
2019-20	42	8700	8021



शिक्षण सत्र 2023-24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित की जानकारी

कक्षा	स्वीकृत सीट			प्रवेशित सीट			रिक्त सीट		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
6वीं	2100	2340	4440	2072	2309	4381	28	31	59
7वीं	2070	2310	4380	2062	2295	4357	8	15	23
8वीं	2010	2250	4260	2004	2236	4240	6	14	20
9वीं	2010	2250	4260	1991	2229	4220	19	21	40
10वीं	1380	1140	2520	1290	1103	2393	90	37	127
11वीं	870	630	1500	796	597	1393	74	33	107
12वीं	870	630	1500	710	597	1307	160	33	193
योग :-	11310	11550	22860	10925	11366	22291	385	184	569

कक्षा-11वीं एवं 12वीं में संकायवार अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी

क्रमांक	संकाय का नाम	कक्षा -11वीं			कक्षा-12वीं		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	गणित	176	88	264	191	97	288
2	विज्ञान	516	497	1013	502	500	1002
3	कला	31	5	36	17	0	17
4	वाणिज्य	73	7	80	0	0	0
		796	597	1393	710	597	1307

विद्यालय संचालन हेतु राशि का प्रावधान

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रुपये 1,09,000/- का प्रावधान किया गया है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	घटक/मद	अधिकतम वार्षिक व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23	विवरण
1	कर्मचारी वेतन	280.00 लाख (53.54%)	कर्मचारी के वेतनमान (शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय)
2	विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय (प्रति विद्यार्थी 29270.84 के मान से)	140.50 लाख (26.86%)	1. मेस संचालन, 2. पुस्तक/कॉपियों, 3. दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ, 4. चिकित्सा व्यय, 5. शाला गणवेश, 6. स्कूल बैग, 7. सी.बी.एस.ई. शुल्क एवं 8. अन्य छात्र/छात्राओं से संबंधित।
3	विद्यालय संचालन पर	54.00 लाख (10.33%)	1. बिजली, 2. पानी, 3. स्टेशनरी, 4. फर्नीचर, 5. उपकरण मरम्मत, 6. डाक व्यय, 7. टेलीफोन/इंटरनेट, 8. भवनों का रख-रखाव एवं मरम्मत, 9. कम्प्यूटर लैब मैनटेनेंस, 10. प्रवेश परीक्षा, 10. अन्य अकादमिक व्यय
4	विद्यालयीन शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियाँ	8.50 लाख (1.83%)	1. एन.सी.सी., 2. स्काउट 3. कला एवं संस्कृतिक कार्यशाला 4. संसाधन कक्ष, 5. शैक्षणिक भ्रमण, 6. संग्रहालय, 7. मोटिवेशन क्लासेस, 8. शैक्षणिक गतिविधियाँ, 9. व्यवसायिक प्रशिक्षण।
5	राज्य सोसायटी पर प्रशासनिक व्यय	10.00 लाख (1.91%)	छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रशासनिक व्यय रखा जावेगा।
6	पूजी मद अंतर्गत(कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लासेस, बैडिंग आयटम एवं प्रमुख मरम्मत)	20.00 लाख (3.82%)	NESTS/केन्द्र स्तर पर राशि सुरक्षित रहेगी जो, राज्य सोसायटी द्वारा विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सोसायटी द्वारा राशि उपलब्ध कराया जावेगा।
7	केन्द्रीय गतिविधियाँ	10.00 लाख (1.91%)	NESTS/केन्द्र स्तर पर राशि सुरक्षित रहेगी, केन्द्रीय सोसायटी द्वारा स्पोर्ट मीट, कल्चर प्रोग्राम एवं अन्य गतिविधियाँ हेतु राशि राज्य सोसायटी को उपलब्ध कराया जावेगा।
	योग	523.00 (100%)	

राशि रुपये 1.09 लाख प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष के मान से

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम

वर्ष	कक्षा 10वीं		कक्षा 12वीं	
	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत
2022-23	1399	93.14%	855	64.58%
2021-22	1274	98.74%	364	80.59%
2020-21	842	100%	563	99.64%
2019-20	660	98.03%	554	94.22%
2018-19	603	98.67%	469	89.55%

विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय (PVTGRS) :-

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय (PVTGRS) का संचालन किया जा रहा है।

शिक्षण सत्र 2023-24 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी

क्र.	जिला	विकासखण्ड	PVTG	स्थान	अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी										योग
					प्राथमिक स्तर					माध्यमिक स्तर					
					1वीं	2री	3री	4थी	5वीं	6वीं	7वीं	8वीं	9वीं	10वीं	
1	नारायणपुर	ओरछा	अबुझगाड़िया,	ओरछा	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	80
2	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	भरतपुर	बैगा	नौदिया	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	80
3	बलरामपुर-रामानुजगंज	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा	भेलवाडीह	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	180
4	गरियाबंद	गरियाबंद	कमार	गरियाबंद	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	80
5	धमतरी	नगरी	कमार	मुकुंदपुर	10	19	0	0	0	20	17	14	17	4	101
6	सरगुजा	अम्बिकापुर	पहाड़ी कोरवा	घंघरी	17	21	0	0	0	17	19	30	10	0	114
7	कबीरधाम	पंडरिया	बैगा	पोलमी	20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	180
8		बोड़ला	बैगा	चौरा	20	20	20	20	0	20	20	20	20	0	160
9	जशपुर	बगीचा	पहाड़ी कोरवा	रूपसेरा	20	20	17	13	20	20	20	0	0	0	130
10	जी.पी.एम.	गौरला	बैगा	धनौली	20	9	31	0	0	20	30	10	0	0	120
योग :-					187	189	108	73	20	197	206	114	87	44	1225





राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता वर्ष 2023-24 :-

वर्ष 2023-24 में 03 अक्टूबर से 06 अक्टूबर 2023 को देहरादून (उत्तराखण्ड) में आयोजित किया गया है। जिसमें प्रदेश के विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्सव वर्ष 2023-24 में प्राप्त उपलब्धि :-

क्रं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतिभागी का नाम	प्राप्त स्थान	विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	ELOCUTION (HINDI)	कु.प्रसिद्धि वेदटी	द्वितीय	EMRS कोडेनार बस्तर
2	INSTRUMENTAL (HORI)	कु.संजना कश्यप	द्वितीय	EMRS पथरीडिह धमतरी
3	VOCAL-CLASSICAL (FEMALE)	कु.मालमती सलाम	द्वितीय	EMRS छेरीबेड़ा नारायणपुर
4	EXTEMPORE (HINDI)	तपेश्वर साय	द्वितीय	EMRS प्रेमनगर
5	CREATIVE WRITING	राघवेन्द्र सिंह नेताम	तृतीय	EMRS पलाड़ीखुर्द
	VOCAL-CLASSICAL (MALE)	सोमारू राम मरकाम	द्वितीय	EMRS करपावण्ड, बस्तर

राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता वर्ष 2023-24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 04 शिक्षकों द्वारा भी पुरस्कार अर्जित किया गया है।



प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम

वर्ष 2022-23 में एकलव्य विद्यालयों के 07 विद्यार्थी JEE Advance क्वालीफाई हुए जिसमें से 01 विद्यार्थी श्री फिल्मोन मिंज का चयन IIT भागलपुर में एवं 02 विद्यार्थी शा. इंजिनियरिंग कॉलेज रायपुर हेतु चयनित हुए।

NEET में 06 विद्यार्थी क्वालिफाई हुए, जिसमें से 01 विद्यार्थी शा. मेडिकल कॉलेज रायपुर एवं 02 विद्यार्थी शासकीय मत्स्य विद्यालय हेतु चयनित हुए।

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

1. EMRS students for participation in the conference, presided by the Hon'ble Minister, Tribal Affairs, GOI, in Delhi Invitation on 22nd August 2023

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22.08.2023 को मंत्री भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा आयोजित कॉन्फ्रेंस "उद्भव" में छत्तीसगढ़ राज्य के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बालक-20 एवं बालिका-20 इस प्रकार-40 विद्यार्थियों एवं 04 एस्कार्ट शिक्षकों को शामिल कराया गया है। उक्त कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विमान द्वारा नई दिल्ली का भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों का विमान यात्रा का यह पहला अनुभव था जो बच्चों के लिए रोमांचक एवं अविस्मरणीय था। सभी विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रपति महोदया से भेंट कर अत्यंत प्रेरित हुए।





2. International Value Education Olympiad :-

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित International Value Education Olympiad 2023 हेतु परीक्षा आयोजित कर 12 विद्यार्थियों का चयन किया जाकर राष्ट्रीय स्तर हेतु दिनांक 15.10.2023 के आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य से भेजा गया था। जिसमें 02 विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है :-

1. कु. स्वाति केरकेट्टा – EMRS सन्ना ग्रुप – “ए” समूह कक्षा-6वीं
2. कु. गोदावरी पैकरा – EMRS हीरापुर, लैलूंगा ग्रुप – “बी” समूह कक्षा – 7वीं



कु. स्वाति केरकेट्टा
EMRS सन्ना



कु. गोदावरी पैकरा
EMRS हीरापुर, लैलूंगा

3. राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान :-

दिनांक 15/01/2024 को प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा-अभियान कार्यक्रम का आयोजन महासमुंद में किया गया जिसमें मान. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी, केन्द्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार तथा मान. श्री अरुण साव जी, उप-मुख्यमंत्री, छ.ग.शासन द्वारा तीरंदाजी के राष्ट्रीय स्तर में चयनित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भोरिंग, जिला महासमुंद खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।




4. Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports (ABVIMAS) Basic Mountaineering Course

भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, पर्वतारोहण संस्थान एवं एलाइट स्पोर्ट्स मनाली (हिमाचल प्रदेश) में 01.09.2023 से 26.09.2023 तक विशेष बुनियादी पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के रूप में एक साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रदेश के 05 विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया है :-



SN	District	Name of EMRS	Name of Candidate	Gender	Class	Passing Grade
1	Kanker	EMRS Antagarh	Kirtan Padmakar	M	11th	A
2	Kanker	EMRS Antagarh	Himalay	M	11th	A
3	Narayanpur	EMRS Orcha	Maso Ram	M	9th	A
4	Surajpur	EMRS Shivprasad nagar	Vikas Paikra	M	11th	A
5	Rajnandgaon	EMRS Pendri	Surendra	M	12th	A





5. EMRS विद्यालयों की 4 थी राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन :-

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति NESTS द्वारा वर्ष 2023-24 में दिनांक 08.01.2024 से 12.01.2024 तक मैसूर (कर्नाटक) में राष्ट्रीय खेल महोत्सव आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभागियों को शामिल कराने हेतु राज्य स्तरीय टीम का चयन किया गया। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	खेल का नाम	चयनित खिलाड़ियों की संख्या		
		बालक	कन्या	योग
1	एथलेटिक्स	20	20	40
2	तीरंदाजी	8	8	16
3	बास्केटबाल	10	10	20
4	योगा	8	8	16
5	फुटबाल	15	15	30
6	हैण्डबाल	10	10	20
7	हॉकी	15	15	30
8	कबड्डी	12	12	24
9	खो-खो	12	12	24
10	बॉलीबाल	12	12	24
	योग -	122	122	244



6. 51वें राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2024 हेतु EMRS का संभाग स्तरीय आयोजन

NCERT के बाल वैज्ञानिक प्रतियोगिता हेतु जारी मार्गदर्शिका अनुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक रुचि पैदा करने तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुभव का विस्तार करने के उद्देश्य से वृहद मंच प्रदान करने हेतु बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन संभाग स्तर पर

दिनांक 15.12.2023 को किया गया। इस संभाग स्तरीय आयोजन में बस्तर, सरगुजा, विलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग से 25 विद्यालयों से अंतिम रूप से 60 मॉडल राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता हेतु चयनित हुए।



7. EMRS के विद्यार्थियों का दक्षणा फाउंडेशन आवासीय छात्रवृत्ति अंतर्गत JEE, NEET की तैयारी हेतु छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों का चयन :-

दक्षणा फाउंडेशन द्वारा देश भर के चयनित एकलव्य के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए दो वर्षीय निःशुल्क JEE, NEET हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके तहत निम्नांकित विद्यार्थियों का चयन छत्तीसगढ़ से हुआ है। ये विद्यार्थी "दक्षणा उत्कृष्टता प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल" में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

क्रमांक	विद्यार्थी का विवरण	म./पु.	वर्ग	संकाय	विद्यालय का नाम	जिला
1.	 गीतांजली	म.	ST	मेडिकल	EMRS डौंडी	बालोद
2.	 नूतन नाग	पु.	ST	मेडिकल	EMRS पथरीडीह	धमतरी



8. एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन :-

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से ड्रॉपआउट, शालात्यागी एवं 15 से 45 वर्ष के बेरोजगारों को मांग आधारित एवं उद्योग से संबद्ध कौशल पाठ्यक्रम को विद्यालयों में कौशल केन्द्र Skill Hub स्थापित कर विद्यार्थियों को कौशल विकास के माध्यम से कुशल मानव संसाधन तैयार कर कौशल बेहतर आजीविका हासिल करने के योग्य बनाना है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा देशभर के एकलव्य विद्यालयों में से 51 विद्यालय कौशल केन्द्र स्थापित करने हेतु चयन किया गया है जिसमें से छत्तीसगढ़ के निम्नांकित 10 विद्यालय शामिल हैं :-

क्रमांक	जिला का नाम	विद्यालय का नाम
1	सूरजपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सूरजपुर
2	जगदलपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावण्ड
3	कबीरधाम	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल
4	जशपुर	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना
5	सरगुजा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट
6	रायगढ़	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटेमुड़पार
7	दंतेवाड़ा	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कटेकल्याण
8	धमतरी	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह
9	राजनांदगांव	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेण्डी
10	गौरैला-पेण्डी-मरवाही	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय डोंगरीया

9. EMRS में युवामंथन (YMG20) कार्यक्रम का अयोजन :-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को उनकी सोच, प्रतिभा एवं विचारों के आदन-प्रदान करने का वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करता है जिससे बच्चों के अंदर नेतृत्व करने की भावना एवं सामुहिक रूप से कार्य करने की भावना को प्रोत्साहना मिलता है। यह कार्यक्रम विद्यालय स्तर पर दिनांक 19.07.2023 को तथा राज्य स्तर पर दिनांक 30.09.2023 को किया गया जिसमें कुल 06 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लगभग 126 विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसका आयोजन पथर्रीडीह, जिला-धमतरी में किया गया।





○○○○○



विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत हैं। ये जातियां बैगा, कुमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा हैं। इन जनजातियों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम होने के कारण स्वास्थ्य, रोजगार एवं जागरूकता की कमी होने के कारण इनकी स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में काफी दयनीय है। इन जनजातियों को ऊपर उठाने हेतु शिक्षा एक सर्वाधिक कारगर माध्यम है।

अतः भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (PVTG) के विकास हेतु विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संरक्षण सहविकास (CCD) की कार्ययोजना (के.क्षे.यो.) वर्ष 2012-17 अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसके तहत छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्र./एफ-20-18/2013/25-2/आजक दिनांक 03.10.2013 एवं 30.03.2017 द्वारा PVTG विद्यालय हेतु पदों की संरचना स्वीकृत की गई है। ये विद्यालय कक्षा पहली से 10वीं तक होंगे तथा इस विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को रु 85,000/- वार्षिक के मान से समस्त व्यय स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों की सूची

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	विद्यालय संचालन/भवन निर्माण की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	कबीरघाम	बलरामपुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (कुमार) आवासीय विद्यालय मुकुन्दनगर	2012-13	100	संचालित
2	बलरामपुर	नगरी	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	2014-15	100	संचालित
3	धमतरी	पंडरिया	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय पोलमी	2012-13	100	संचालित
4	कबीरघाम	बोड़ला	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय चौरा	2014-15	100	भवन निर्माणाधीन
5	गरियाबंद	गरियाबंद	विशेष पिछड़ी जनजाति (कुमार) आवासीय विद्यालय केशोडोर	2012-13	100	भवन निर्माणाधीन
6	कोरिया	भरतपुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय नौढिया	2012-13	100	भवन निर्माणाधीन
7	सरगुजा	अंबिकापुर	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय घघरी	2012-13	100	भवन निर्माणाधीन
8	गौरेला- पेण्ड्रा- मरवाही	गौरेला	विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) आवासीय विद्यालय धनौली	2014-15	100	भवन निर्माणाधीन
9	जशपुर	बगीचा	विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) आवासीय विद्यालय रूपसेरा	2014-15	100	भवन निर्माणाधीन
10	नारायणपुर	ओरछा	विशेष पिछड़ी जनजाति (अबुझमाड़िया) आवासीय विद्यालय ओरछा	2016-17	200	भवन निर्माणाधीन

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना वर्ष 2023-24

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने वाले निजी प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते



है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं में 130 अनुसूचित जनजाति एवं 70 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2023-24 में कुल 1108 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। इस हेतु वर्ष 2023-24 में कुल बजट प्रावधान 1420.00 लाख का है।

पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजनांतर्गत विगत वर्षों की जानकारी :-

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	विद्यार्थियों की संख्या		
			नवीन प्रवेशित	नवीनीकरण	योग
1	2013-14	1011.74	145	986	1131
2	2014-15	1220.00	186	1059	1245
3	2015-16	1245.00	82	1086	1168
4	2016-17	1245.00	244	719	963
5	2017-18	1400.00	175	824	999
6	2018-19	1400.00	182	791	973
7	2019-20	1400.00	150	815	965
8	2020-21	1420.00	-	808	808
9	2021-22	1420.00	256 (वर्ष 2020-21 एवं 2021-22)	625	881
10	2022-23	1420.00	181	851	1032
11	2023-24	1420.00	192	916	1108

उपलब्धियाँ

क्र.	वर्ष	छात्रों का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत	
		10वीं प्रतिशत	12वीं प्रतिशत
1	2016-17	90.48	70.94
2	2017-18	85.71	82.83
3	2018-19	98.40	93.84
4	2019-20	99.00	94.96
5	2020-21	100	96.64
6	2021-22	100	100
7	2022-23	100	95.03



क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 19 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 1900 सीट स्वीकृत है। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्ययनरत है।

क्रीड़ा परिसर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम	मुख्य खेल विधाएँ				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर गोर्गांव रायपुर	खो-खो	वेटलिफ्टिंग	तीरंदाजी	बैडमिंटन	एथलेटिक्स
2	गरियाबंद	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर गरियाबंद जिला गरियाबंद	नेटबॉल	हॉकी	व्हालीबॉल	बास्केटबॉल	एथलेटिक्स
3	बिलासपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर बिलासपुर जिला बिलासपुर	कबड्डी	तैराकी	बैडमिंटन	फुटबॉल	एथलेटिक्स
4	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर गुरुकुल विद्यालय पेण्ड्रारोड जिला गौरेला	फुटबॉल	जिमनास्टिक	तीरंदाजी	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
5	मुंगेली	अनुसूचित जाति बालक क्रीड़ा परिसर मुंगेली जिला मुंगेली	तीरंदाजी	बास्केटबॉल	बेसबॉल	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स
6	जांजगीर-चांपा	अनुसूचित जाति कन्या क्रीड़ा परिसर धिस्ता (हसौद) जिला जांजगीर	खो-खो	हैण्डबॉल	व्हालीबॉल	सॉफ्टबॉल	एथलेटिक्स
7	रायगढ़	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर घरमजायगढ़ जिला रायगढ़	हॉकी	हैण्डबॉल	व्हालीबॉल	नेटबॉल	एथलेटिक्स
8	बालोद	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर डीणडी जिला बालोद	फुटबॉल	कबड्डी	थोबॉल	तीरंदाजी	एथलेटिक्स
9	राजनांदगांव	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर अबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	बास्केटबॉल	खो-खो	एथलेटिक्स
10	सरगुजा	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर अबिकापुर जिला सरगुजा	व्हालीबॉल	हॉकी	हैण्डबॉल	तैराकी	एथलेटिक्स
11	बलरामपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर बलरामपुर जिला बलरामपुर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो-खो	टेबल-टेनिस	एथलेटिक्स
12	कोरिया	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर मन्-द्वगदत्र जिला कोरिया	हॉकी	फुटबॉल	सॉफ्टबॉल	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
13	जशपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर जशपुर जिला जशपुर	हॉकी	खो-खो	टेबल-टेनिस	फुटबॉल	एथलेटिक्स
14		अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर जशपुर जिला जशपुर	खो-खो	हॉकी	फुटबॉल	सॉफ्टबॉल	एथलेटिक्स
15	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर घरमपुर जिला बस्तर	तीरंदाजी	कुश्ती	व्हालीबॉल	कबड्डी	एथलेटिक्स
16		अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर घरमपुर जिला बस्तर	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	हैण्डबॉल	कुश्ती	एथलेटिक्स
17		अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर मनपुरी जिला बस्तर	कबड्डी	हैण्डबॉल	नेटबॉल	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स
18	कांकेर	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर कांकेर जिला कांकेर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो-खो	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
19	नारायणपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर नारायणपुर जिला नारायणपुर	फुटबॉल	मलखम्ब	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स

टीप - वर्ष 2023-24 के बजट में कांकेर जिले के नरहरपुर में अनुसूचित जाति वर्ग के बालकों के लिए नवीन क्रीड़ा परिसर स्वीकृत किया गया है। इसके प्रारंभ होने से क्रीड़ा परिसरों की संख्या 20 हो जाएगी।

क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों को सुविधाएं :-

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में बालक/कन्या आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक बालक/कन्या को प्रतिमाह रु 1500 शिष्यवृत्ति एवं रु 500 पोषण आहार हेतु इस प्रकार कुल राशि रु. 2000 प्रतिमाह दिया जाता है।

विभागीय क्रीड़ा परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में एक बार राशि रु. 3000 मूल्य का संपूर्ण खेल पोषक दिया जाता है। जिसमें 01 ट्रेक सूट, 01 स्पोर्ट्स/वार्मअप शूज, 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ी संबंधित खेल की पोषाक सम्मिलित है।



67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स क्रीड़ा प्रतियोगिता, रांची (झारखंड) में आयोजित अंडर 14 (बालक) कबड्डी में नवीन पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर, बिलासपुर के 4 छात्रों - तुषार, भूषण, भव्य एवं नवीन ने छ.ग. राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए फाइनल मुकाबले में कर्नाटक को 38-28 से परास्त कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। (टीम के कप्तान नवीन साहू, क्रीड़ा परिसर, बिलासपुर थे)



ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

ऑन-लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृत एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी। प्रक्रिया के सरलीकरण एवं समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012-13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.Postmatric-scholarship.cg.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी तथा प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015-16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015-16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में कुल 548585 विद्यार्थियों को राशि रुपये 28707.90 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2023-24की छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :-

SC Post Matric scholarship			ST Post Matric scholarship			OBC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)	Year	Students	Amount (in lakhs)	Year	Students	Amount (in lakhs)
2020-21	102512	5230.67	2020-21	146616	6701.88	2020-21	292969	10653.19
2021-22	114367	5847.75	2021-22	173112	8050.22	2021-22	326684	11719.03
2022-23	93792	6734.15	2022-23	124787	8579.92	2022-23	330006	13393.83



पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ.ज.जा.)

- आय-सीमा- रु. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग / विज्ञान। (ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम (iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (iv) सी.ए. / आई.सी.डब्ल्यू.ए. / सी.एस. / आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम (v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान यथा-डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि (vi) एल.एल.एम.	1200	550
समूह-2 - (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे-फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे-रिहायबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रवेल / टूरिज्म / हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक साज-सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे-बैंकिंग, इन्शुरेन्स इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे-एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530
समूह-3- स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे-बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., बी.एड इत्यादि।	570	300
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230



पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- आय-सीमा- रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक निम्नानुसार लागू है :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	13500	7000
समूह-2 - डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह-3- स्नातक एवं स्नातकोत्तरीय स्तरीय अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	6000	3000
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय-सीमा-रू. 1,00,000/- तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :-

समूह	अध्ययन का वर्ष	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)			
		छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ-मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ-डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ-सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई-सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स-कक्षा - 11वीं		100	110	50	60
कक्षा - 12वीं		100	110	55	70

○○○○○



अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा की जानकारी (अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा)

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ हैं :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक समुदायवार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि का वहन किया जाता है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)	टिप्पणियाँ
1	कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण-पोषण भत्ता)	-	100/- प्रतिमाह	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/- प्रतिवर्ष	
		शिक्षण शुल्क	350/- प्रतिमाह	
		भरण पोषण भत्ता	600/- प्रतिमाह	



पात्रता :-

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 10वीं को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है।

आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाइट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि	मुस्लिम	इंसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2021-22	लक्ष्य (नवीन)	6607	6293	898	904	789	0	15491
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा 4476 विद्यार्थियों को राशि रुपये 135.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरित की गई है।					
		नवीनीकरण						
		योग						
2022-23	लक्ष्य (नवीन)	6607	6293	898	904	789	0	15491
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2022-23 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।					
		नवीनीकरण						
		योग						

2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है।



प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्र.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर	रिमार्क
1	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000 /- प्रतिवर्ष	7,000 /- प्रतिवर्ष	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000 /- प्रतिवर्ष	10,000 /- प्रतिवर्ष	
3	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000 /- प्रतिवर्ष	3,000 /- प्रतिवर्ष	
4	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)			
	1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380 /- प्रतिमाह	230 /- प्रतिमाह	
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570 /- प्रतिमाह	300 /- प्रतिमाह	
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200 /- प्रतिमाह	550 /- प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. जिन्होंने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
2. जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
3. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
4. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
5. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।



वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2021-22	लक्ष्य (नवीन)	1058	1035	180	169	145	02	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा 2745 विद्यार्थियों को राशि रुपये 154.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरित की गई है।					
		नवीनीकरण						
		योग						
2022-23	लक्ष्य (नवीन)	1058	1035	180	169	145	02	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2022-23 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।					
		नवीनीकरण						
		योग						

3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल है। इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाइट एवं tribal.cg.gov.in पर देखे जा सकते हैं) में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है:-

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रु. 1000/- प्रतिमाह की दर से कुल रु. 10,000/-	रु. 500/- प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/-
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रु. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रु. 20,000/- वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

पात्रता :-

- यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
- यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो भी वे छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हो।
- जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रुपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
- बैंक में खाता होना आवश्यक है।



उपबंध :-

1. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
2. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/ छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
3. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/ फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाइट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग	
2021-22	लक्ष्य (नवीन)	127	124	22	20	17	0	310	
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के द्वारा 518 विद्यार्थियों को राशि रूपये 143.00 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाकर डी.बी.टी. के माध्यम से वितरित की गई है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2022-23	लक्ष्य (नवीन)	127	124	22	20	17	0	310	
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली स्तर से डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2022-23 छात्रवृत्ति की राशि वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।						
		नवीनीकरण							
		योग							





रोजगार मूलक योजनाएं

बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना

यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गयी हैं। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष संचालक चिकित्सा शिक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक, छात्रावास एवं मेस शुल्क की राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत विगत 05 वर्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निम्नानुसार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है :-

क्र.	वर्ष	वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या		योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	2019-20	220	329	549
2	2020-21	253	365	618
3	2021-22	288	497	785
4	2022-23	329	480	809
5	2023-24	315	416	731
योग		1405	2087	3492

हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण -

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006-07 से प्रारंभ की गयी थी। वर्ष 2013-14 यथा संशोधित "हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट" अंतर्गत डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। विगत वर्षों में अनुसूचित जाति के 374 एवं अनुसूचित जनजाति के 168 कुल 542 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।

क्र.	वर्ष	वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या		योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	2019-20	105	54	159
2	2020-21	113	45	158
3	2021-22	26	8	34
4	2022-23	76	24	100
5	2023-24	54	37	91
योग		374	168	542



निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। विगत वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग 735 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1207 इस प्रकार कुल 1942 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

रविदास चर्मशिल्प योजना :-

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 30.00 लाख का बजट प्रावधान है।





आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधित योजनाएँ

देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत :-

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006-07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/ मरम्मत हेतु वर्ष 2017-18 से प्रति देवगुड़ी राशि रू0 1,00,000/- रूपये उपलब्ध करायी जाती थी। वर्ष 2021-22 में प्रति देवगुड़ी राशि रूपये 1,00,000/- के स्थान पर अधिकतम राशि रूपये 5,00,000/-प्रति देवगुड़ी स्वीकृति किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रू0 800.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध 474 देवगुड़ी स्वीकृत की गई हैं। योजनांतर्गत अब तक 13984 देवगुड़ी स्वीकृत की गई हैं।



आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :-

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र कय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू. 10,000/- दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 में राशि रूपये 90.00 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2023-24 में योजना नियमानुसार निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 590 हितग्राहियों के लिए राशि रूपये 59.00 लाख जिलो को आबंटन उपलब्ध कराया गया है। विगत 05 वर्षों में 2950 हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुये राशि रू. 295.00 लाख व्यय किया गया है।



अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति / जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 संशोधन अधिनियम 2015 तथा मूल अधिनियम 1989 में पुनः 2018 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया गया है।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधन नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :-

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
1	अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए :
2	मल-मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख))	(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत
3	क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग))	(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत।
4	जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ))	(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।
5	बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.))	
6	भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्च पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा :
7	भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च))	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज))	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
9	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ))	1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ))	3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट))	
12	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक अभिन्नस्त करना या उनमें व्यवधान डालना को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या (अधिनियम की धारा 3(1)(ड))	1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
14	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक (अधिनियम की धारा 3(1)(ढ)) तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ण))	
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त))	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ))	<p>पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द))	<p>पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रुपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध))	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न))	
21	शत्रुता, घृणा वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प))	



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ))	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब))	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक))	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य हास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए।) (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। 2. चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
25	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत
27	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
28	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एमआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 30(1)(भ)	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला विनिश्चय की जाने वाली प्राधिकारी द्वारा प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़िजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुँचाना (अधिनियम की धारा 31(1)(म))	<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य))	<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्च पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बांधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ))	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों, कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<p>प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	<p>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना चा जूना आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक) (आ))</p>	<p>(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	<p>(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(इ))</p>	<p>(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक</p>

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<p>लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	<p>(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(ई))</p>	<p>(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	<p>(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(उ))</p>	<p>(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p>



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37	<p>डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख)</p>	<p>पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38	<p>सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा 3(1)(यग)</p>	<p>संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।</p>
39	<p>मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)</p>	<p>पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
40	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2))	पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रुपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीयदंड संहिता में विनिर्दिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va))	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रुपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii))	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रुपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।



क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित का आई लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत । 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाने पर ।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बालत्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों के अतिरिक्त अनुतोष	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- 1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : 2. पीड़ित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।”

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140 प्रतिशत से 166 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके



परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2022-23 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 1529 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2023-24 में माह नवम्बर 2023 की स्थिति में 533 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2022 में उक्त समिति की बैठक 25 अगस्त 2022 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 28 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाता है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 27 जिलों यथा जिला-रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालौदा, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत हैं। शेष 5 जिलों में क्रमशः गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, खैरागढ़-छुईखदान में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सदभावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ हैं, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती हैं।

राहत एवं पुनर्वास सहायता :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में राशि रु. 1204.53 लाख का आबंटन जिलों को जारी किया गया है।

अस्पृश्यता निवारणार्थ सदभावना शिविर :- अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सदभावना शिविरों को आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरुद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सदभावना शिविर का आयोजन 02 अक्टूबर को देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के महापुरुषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सदभावना शिविर के आयोजन हेतु वर्ष 2023-24 में राशि रु. 33.44 लाख जिलों को जारी किया गया है, जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत दिनांक 13 अप्रैल 2018 से प्रति दंपति रू. 2,50,000/- सम्मान राशि दिए जाने का प्रावधान है।

- वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम के अन्तर्गत राशि रू. 2084.50 लाख जिलों को जारी किया गया है, जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण :- छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं वर्ष 2020 तक सभी 4391 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। छ.ग. राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाए गए थे, जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :- केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनान्तर्गत प्रथम चरण में छ.ग. राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर-चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा-आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर विकास किया जाएगा। उक्त योजनान्तर्गत कुल राशि रू. 8125.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है, जिसका पुनर्वांटन संबंधित जिलों को किया जा चुका है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत द्वितीय सोपान द्वारा छ.ग. राज्य के 23 जिलों के 909 नवीन ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।





सम्मान पुरस्कार

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते एवं गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि ₹0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि ₹0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है।

गुरु घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरुघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2023-24 में राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप पुरस्कार/सम्मान की कार्यवाही स्थगित है।

स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार :- “स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार” अंतर्गत उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्य रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से उक्त पुरस्कार योजना के संबंध में राज्य स्तरीय सम्मान की शासन द्वारा स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त योजना अंतर्गत राशि ₹. 2.50 लाख की राशि प्रावधानित है।

लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव :- शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदाबाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि ₹. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि ₹. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिए जाते हैं। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

गुरु घासीदास लोककला महोत्सव :- “गुरु घासीदास लोककला महोत्सव” योजना 2005 संचालित है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे-पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि ₹. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि ₹. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि ₹. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते हैं।

गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोककला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।



छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

लक्षित वर्ग के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर छत्तीसगढ़ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्गों के आर्थिक विकास की व्यक्तिमूलक योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानों पर संचालित किये जा रहे हैं।

उद्देश्य

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कामगार को विभिन्न व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें।

बैंक प्रवर्तित योजना

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को निगम द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना व आदिवासी स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन हितग्राहियों को बैंको से ऋण दिलाने हेतु किया जाता है। इस योजना में बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 10,000/- तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। 3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रु. 1,50,000/- हो, (परिवार से तात्पर्य पति,पत्नी एवं नाबालिग बच्चे से है)। 4. मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल आदि।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम विभिन्न राष्ट्रीय निगमों (अजा.अजजा.पि.वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कामगार) की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार हेतु संचालित करता है। इसके अतिरिक्त इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु ऋण देश या विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय निगमों की चेनलाईजिंग एजेन्सी

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की चेनलाईजिंग एजेन्सी के रूप में कार्य करता है।



राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं

विभिन्न राष्ट्रीय निगमों वित्तीय सहायता से ट्रेक्टर ट्राली योजना, गुड्स कैरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, टर्म लोन योजना, जनरल लोन योजना, नई स्वर्णिमा (महिला) योजना, स्कीम अप प्रोजेक्ट (व्यक्तिमूल) योजना, स्वच्छता से संबंधित वाहन योजना, सेनेटरी मार्ट योजना एवं शिक्षा ऋण योजना संचालित है।

व्यवसायों की सूची

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार के सदस्यों को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्रय-विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप हैं, आप अपने स्वरूचि व स्थानीय मांग एवं पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय निगमों से संचालित योजनाओं में पात्रता

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। 2. आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक एवं सफाई कामगार वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र) 3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रु. 300000/- से अधिक न हो। 4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। 5. ट्रेक्टर ट्राली के लिए आवेदक के पास खेतीहार भूमि हो। 6. ट्रेक्टर ट्राली एवं वाहन लेने के इच्छुक आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एवं संबंधित का पासपोर्ट साइज फोटो 7. ऋण स्वीकृति की स्थिति में आवेदक को ऋण के बराबर का गारंटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर

ऋण राशि रु. 5,00,000/- तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6% वार्षिक तथा ऋण राशि रु. 5,00,000/- से अधिक सभी योजनाओं में ब्याज दर 8% वार्षिक।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओं का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रों, शिविर आयोजित कर एवं ब्रोशर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहीयों का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें मान.सांसद, मान. विधायक एवं विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते हैं।

व्यवसायिक प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति व जनजाति के युवक/युवतियों के तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य 10 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ग के 4 केन्द्र (रायपुर, दुर्ग, रतनपुर, सांरगढ) तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 6 केन्द्र (पेण्डारोड, अंबिकापुर, नगरी, कोण्डागांव, नारायणपुर, कोसा जगदलपुर) है।

प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रु. 1000/- प्रति माह उनकी उपस्थिति के मान से दी जाती है।

प्रशिक्षण ट्रेड - एपैरल, इलेक्ट्रीशियन, आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, कंस्ट्रक्शन, इत्यादि।

नियोजन - प्रशिक्षण पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को शासकीय/निजी सेवा क्षेत्र में अंत्यावसायी निगम द्वारा नियोजित किया जाता है, साथ ही स्वरोजगार हेतु इच्छुक प्रशिक्षणार्थियों को निगम की योजना में लाभान्वित किया जाता है।

सम्पर्क

राज्य स्तरीय कार्यालय- प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर-24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 33 जिला मुख्यालय में।



अंत्योदय स्वरोजगार/आदिवासी स्वरोजगार योजनाओं में ऋण राशि का चेक वितरण


क्र.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य		उपलब्धि	
		इकाई संख्या	राशि	इकाई संख्या	राशि
1	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	10000	5000.00	3984	983.40
2	आदिवासी स्वरोजगार योजना	1000	500.00	707	233.46
3	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वि.वि. निगम की योजना	336	1253.62	199	799.92
4	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वि.वि. निगम की योजना	50	50.00	42	46.25
योग:-		11386	6803.62	4932	2063.03





अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से उस क्षेत्र के वन/वन भूमि में निवासरत होना भी आवश्यक है।

राज्य में 30.09.2023 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु कुल 8,87,827 आवेदन/दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 4,79,640 दावे स्वीकृत कर 4,78,433 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार हेतु कुल 53,926 आवेदन/दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 49,335 दावे स्वीकृत कर 49,247 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता कुल 3,83,259.257 हेक्टेयर वन भूमि तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता कुल 20,82,595.527 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है।





राज्य सरकार का जोर सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार को स्थानीय वन निवासियों को प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी के तारतम्य में राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत माह सितंबर, 2023 की स्थिति में 4,292 वन अधिकार पत्र संबंधित ग्रामसभाओं को 19,35,974.631 हेक्टेयर वन भूमि पर मान्य / वितरित किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि देश में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र भी प्रदाय किए गए हैं। राज्य में पहली बार विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों (PVTGs) को पर्यावास के अधिकार प्रदाय किए गए हैं। जिला



धमतरी में कमार पीवीटीजी को माह जुलाई, 2023 में एवं जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में बैगा पीवीटीजी को माह अक्टूबर, 2023 में उनके पर्यावास क्षेत्रों में पर्यावास के अधिकार मान्य किए गए हैं।

वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में ग्रामसभा स्तर पर गठित वन अधिकार समितियों एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्राम सभाओं में वन संसाधन संरक्षण, प्रबंधन एवं पुनरुज्जीवन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा मुद्रण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुख्य बजट में राशि रु. 500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके अनुवर्तन में राशि रु. 1,85,34,608/- वन अधिकार अधिनियम क्रियान्वित जिलों (रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर) को जारी किया जा चुका है। राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गठन उपरांत इन समितियों को प्रबंधन योजना बनाने हेतु आर्थिक सहायता हेतु राशि जारी की जावेगी।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन सभी जिलों में (रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर) प्रतिबद्धतापूर्वक किया जा रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य, देश में विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता देने में अग्रणी राज्य है।



अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जनजाति उपयोजना -

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यों के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य हैं :-

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :-

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गों के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे-कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।



वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में राशि रू.26168.69 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में राशि रू.8276.15 करोड़ अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।





आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित भवन एवं संग्रहालय



आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिचय :-

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशांसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य :-

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित हैं :-

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलॉजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

वर्ष 2023-24 में दिसंबर माह तक संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. मानवशास्त्रीय अध्ययन :-

संस्थान द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के जीवनशैली, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति, धार्मिक, सांस्कृतिक, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, न्याय व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन आदि पहलुओं पर आधारित निम्नांकित जनजातियों का मानवशास्त्रीय अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया गया है:-

1. अबुझमाड़िया जनजाति
2. ओझा जनजाति
3. परधान जनजाति



2. मोनोग्राफ अध्ययन

राज्य की अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट पहलुओं पर आधारित मोनोग्राफ अध्ययन अंतर्गत निम्न अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया गया:-



बस्तर दशहरा ->



3. फोटो हैण्डबुक

राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जीवनशैली पर आधारित अंग्रेजी भाषा में निम्नानुसार जनजातियों की फोटो हैण्डबुक तैयार की गई :-

1. कोल जनजाति
2. दोरला जनजाति



4. स्मारिका प्रकाशन

संस्थान द्वारा राज्य के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने वाले जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों की योगदानों एवं जनजातीय संस्कृति पर आधारित छायाचित्र (Painting) प्रतियोगिता पर आधारित स्मारिका (पुस्तिका) का निर्माण एवं प्रकाशन किया गया :-



5. डॉक्यूमेंटेशन

छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत प्रमुख जनजातीय समुदायों में मनोरंजन के साधन एवं विशेष अवसरों में बजाये जाने वाले प्रचलित एवं विलुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से उनका ऑडियो-विडियो एवं पेपर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य किया गया।

राज्य के प्रमुख अनुसूचित जनजाति यथा कमार, भुंजिया, संवरा, राजगोंड, बिंझवार, बैगा, पण्डो, पहाड़ी कोरवा, उरांव, नगेसिया, अबुझमाड़िया, मुरिया, हल्बा, परजा एवं दण्डामी माड़िया, माड़िया में प्रचलित वाद्य यंत्रों का ऑडियो-विडियो डॉक्यूमेंटेशन के साथ-साथ पेपर डॉक्यूमेंटेशन के रूप में संग्रहित कर "आदिनाद" पुस्तिका तैयार कर प्रकाशित किया गया।



6. जनजातीय वाचिकोत्सव


आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली एवं राज्य शासन के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों में प्रचलित वाचिक परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन एवं अभिलेखीकरण के उद्देश्य से दिनांक 25-27 मई 2023 तक 03 दिवसीय "जनजातीय वाचिकोत्सव 2023" का आयोजन आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभा भवन, नवा रायपुर अटल नगर में किया गया।

उक्त जनजातीय वाचिकोत्सव कार्यक्रम राज्य के जनजातीय जीवन से संबंधित 09 विधाओं यथा "जनजातीय देवी-देवताओं एवं मड़ई-मेला के संबंध में वाचिक ज्ञान", "जनजातियों में प्रचलित लोक कहानियाँ, कहावतें एवं लोकोक्तियाँ", "जनजातीय लोकगीत, उनका अभिप्राय एवं भावार्थ", "जनजातीय तीज-त्यौहारों से संबंधित वाचिक ज्ञान", "जनजातीय जीवन संस्कार (जन्म, विवाह, मृत्यु आदि) संबंधी वाचिक परंपरा" एवं "जनजातीय समुदाय की उत्पत्ति संबंधी धारणा एवं वाचिक परंपरा", "जनजातीय समुदाय में गोत्र व्यवस्था एवं गोत्र चिन्हों की अवधारणा संबंधी वाचिक ज्ञान", जनजातियों में प्रचलित विशिष्ट परंपरा (गोदना, लाल बंगला, घोदूल, धनकूल, जगार, जात्रा, घुमकुरिया आदि) रीति-रिवाज एवं परंपरागत ज्ञान एवं विश्वास" विषयों पर राज्य के जनजातीय जानकार व्यक्तियों द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया।



उक्त कार्यक्रम में उपरोक्त 09 विधाओं पर राज्य के जनजातीय साहित्यकारों, जनजातीय जनप्रतिनिधियों एवं विधाओं का ज्ञान रखने वाले कुल 270 जनजातीय प्रतिभागियों द्वारा भाग लेकर अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया।

जनजातीय वाचिकोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का संकलन कर "छत्तीसगढ़ की जनजातीय वाचिक परंपराएं" पुस्तिका का निर्माण कर प्रकाशित किया गया।




7. डॉक्यूड्रामा

छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों द्वारा ब्रिटिश शासन एवं उनके शोषण के विरुद्ध विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने वाले जनजातीय जननायकों के योगदानों, उनके शौर्य गाथाओं एवं बलिदानों को आदिवासी समुदायों एवं जन सामान्य को परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के 12 प्रमुख विद्रोहों यथा 1. भूमकाल विद्रोह 2. परलकोट विद्रोह 3. मेरिया विद्रोह 4. भोपालपट्टनम विद्रोह 5. सोनाखान विद्रोह 6. हल्बा विद्रोह 7. सरगुजा विद्रोह 8. तारापुर विद्रोह 9. लिंगागिरी विद्रोह 10. कोई विद्रोह 11. मारिया विद्रोह 12. रानी चेरिस विद्रोहों में भाग लेने वाले जनजातीय जननायकों की शौर्य एवं बलिदान का डॉक्यूड्रामा निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से भूमकाल विद्रोह, सोनाखान विद्रोह भोपालपट्टनम विद्रोह एवं मुरिया विद्रोह का डॉक्यूड्रामा तैयार कर लिया गया है। शेष विद्रोहों का डॉक्यूड्रामा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

8. जनजातीय बोली (डॉक्यूमेंटेशन)

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सिकल सेल एनिमिया बीमारी उनके प्रचार-प्रसार, रोकथाम एवं उपचार से संबंधित "सिकल सेल एनिमिया जागरूकता एवं परामर्श मॉड्यूल्स" का राज्य के जनजातीय बोलियों हल्बी एवं गोंडी भाषा में अनुवाद तथा दोनों बोलियों में विडियोग्राफी तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किया गया।



Gondi sickle cell video



sickle cell 4k (2)

09. प्री-ओलम्पियाड प्रशिक्षण

संस्थान द्वारा राज्य के एकलव्य आवासीय विद्यालय (EMRS) के विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों को संस्थान, नवा रायपुर के प्रशिक्षण हॉल में दिनांक 01-02 सितम्बर 2023 तक 02 दिवसीय प्री-ओलम्पियाड का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य राज्य के दुर्गम एवं पहुँच विहीन क्षेत्रों के, जनजातीय बच्चों को प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के माध्यम से उनके मार्गदर्शन में वर्तमान राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सके।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय-विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा कुल 207 शिक्षकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदाय किया गया, जिसमें सर्वाधिक 97 महिला शिक्षक शामिल हुए।



10. लघुवनोपजों के भण्डारण एवं पैकेजिंग के संबंध में प्रशिक्षण सह कार्यशाला

संस्थान द्वारा संस्थान के प्रशिक्षण कक्ष में राज्य की जनजातीय महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के जीवन स्तर में सुधार एवं आय में वृद्धि के उद्देश्य से 02 चरणों में लघुवनोपजों के संकलन, भण्डारण, पैकेजिंग एवं विपणन के संबंध में 03-03 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया।



उक्त प्रशिक्षण सह कार्यशाला फॉउन्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (FES) नवा रायपुर के सहयोग से आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के प्रथम चरण में दिनांक 13-15 सितम्बर 2023 तक 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के बीजापुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जशपुर, कोण्डागांव, मोहला-मानपुर-चौकी, नारायणपुर एवं सरगुजा जिले के लघुवनोपज संकलन में संलग्न जनजातीय महिला स्व-सहायता समूह के कुल 104 महिला सदस्यों ने प्रशिक्षण सह कार्यशाला में भाग लिया।



द्वितीय चरण दिनांक 17-19 अक्टूबर 2023 तक 03 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें रायगढ़, जशपुर, कोण्डागांव, बलौदाबाजार-भाटापारा, दन्तेवाड़ा, बस्तर, बालोद, बीजापुर, कांकेर एवं मुंगेली जिले के कुल 84 महिला सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।



11. PMPVTGs आवास हेतु कार्यशाला

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातीय परिवारों को उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रतिमानों को संरक्षित रखते हुए, उनके पर्यावरण के अनुकूल आवास दिये जाने के निर्देशों के तारतम्य में संस्थान द्वारा विषय-विशेषज्ञों की उपस्थिति में राज्य के विशेष पिछड़ी जनजातियों के आवास संरचना हेतु दिनांक 20.09.2023 को 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत जिलों के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, सिविल इंजीनियर, मण्डल संयोजक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, प्रत्येक समाजों से 05-05 समाज प्रमुख, आयुक्त कार्यालय के पक्क शाखा एवं मुख्यालय एवं क्षेत्रीय ईकाइयों से विषय-विशेषज्ञ इस प्रकार कुल 130 लोगों ने भाग लिया। उक्त कार्यशाला में PMPVTGs आवास का रूपरेखा और स्वरूप को अंतिम रूप देकर अनुमोदन प्राप्त किया गया।



12. प्रकाशन

संस्थान द्वारा जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार हेतु लघुवनोपजों के संग्रहण, भण्डारण, पैकेजिंग एवं विपणन संबंधी प्रशिक्षण सह कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को उपलब्ध कराने के लिए 02 प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का प्रकाशन किया गया।

1. लघु वनोपजों के भण्डारण एवं पैकेजिंग विपणन पर प्रशिक्षण
2. लघु वनोपज खरीदी हेतु संग्रहण दर, मानक आदि विवरण



13. उन्मुखीकरण कार्यशाला

संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राज्य के रायगढ़ एवं कोरबा जिले के कोल माईनिंग प्रभावित क्षेत्र में कोल माईन्स के प्रभाव से होने वाले Pneumoconiosis, Heart, Eye & Skin Disease की Screening एवं कमार, बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति महिलाओं के ओरल, ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर, स्त्री रोग संबंधी स्वास्थ्य जाँच कर, पहचान एवं उचित चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर एवं Screening के लिए कार्ययोजना बनाये जाने के लिए दिनांक 28.08.2023 को संस्थान में 01 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित क्षेत्रों के CMHO, BMO, DPM, NCD Programme Officer, BPM, Tata Trust NRHM Staff एवं आदिवासी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी कुल 159 लोग शामिल हुए।

उक्त 01 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में संबंधित जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य जाँच एवं आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था की कार्ययोजना तैयार कर स्वीकृति दी गयी।



14. फोटोग्राफी

संस्थान द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक परिधानों एवं उनके आभूषणों के अभिलेखीकरण एवं Photo Folio निर्माण के उद्देश्य से Photography एवं Videography का कार्य संपादित किया गया।

उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के 41 प्रमुख जनजातीय समूहों यथा अबुझमाड़िया, परजा, मुरिया, दण्डामी माड़िया, गदबा, गोंड, ओझा, हल्बा, भतरा, नगेशिया, माझी, मझवार, भुंजिया, पहाड़ी कोरवा, कोरवा, सवरा, कोंध, राजगोंड, बैगा, चेरवा, बिंझिया, उरांव, खड़िया, बिरहोर, धनुहार, कंवर, साँता, बिंझवार, माड़िया, दोरला, परधान, धुरवा, खैरवार, मुण्डा, कोड़ाकू, कोल, पाव, पण्डो, बियार जनजाति के स्त्री-पुरुषों एवं बच्चों के पारंपरिक एवं विशेष अवसरों पर धारण किये जाने वाले परिधानों एवं उनके पारंपरिक आभूषणों का Photography & Videography का कार्य किया गया।

15. स्वास्थ्य परीक्षण

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजनान्तर्गत, संस्थान द्वारा राज्य के रायगढ़ एवं कोरबा जिले के कोल माईनिंग प्रभावित क्षेत्रों के 52000 कार्यशील जनजातीय जनसंख्या में कोल माईन्स के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले Pneumoconiosis, Heart, Eye & Skin Disease dh Screening आयुष विभाग के चिकित्सकीय अमलों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान समय तक 11484 जनजातियों की स्क्रीनिंग का कार्य किया जा चुका है, जिसमें 108 कैंसर के संदिग्ध मरीज, 334 त्वचा रोग, 850 उच्च रक्त चाप एवं 745 व्यक्ति मधुमेह रोग से ग्रस्त पाये गये। शेष लोगों की स्क्रीनिंग का कार्य प्रगति पर है।

उसी प्रकार राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा के 42015 एवं कमार के 13328 कुल 64900 जनजातीय महिलाओं में ओरल, ब्रेस्ट एवं सरवाईकल कैंसर, स्त्री रोग संबंधी स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार का कार्य आयुष विभाग के चिकित्सकीय अमलों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें अब तक 19237 महिलाओं का स्क्रीनिंग का कार्य किया जा चुका है। उक्त जाँच एवं परीक्षण में मधुमेह के 2596, रक्तचाप के 2355, सरवाईकल 102, ब्रेस्ट 85 एवं 79 ओरल कैंसर के मरीज तथा 542 विभिन्न प्रकार के स्त्री रोगों से ग्रसित पाये गये हैं। शेष लोगों का स्क्रीनिंग का कार्य प्रगति पर है।

16. विश्व आदिवासी दिवस में सहभागिता

राज्य शासन द्वारा 09 अगस्त 2023 को विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान द्वारा सक्रिय भागीदारी दी गयी। उक्त अवसर पर संस्थान द्वारा प्रकाशित, जनजातीय वाद्य यंत्र पर आधारित "आदिनाद" जनजातीय वाचिक परंपरा पर आधारित "छत्तीसगढ़ की जनजातीय वाचिक परंपराएं" जनजातीय जीवनशैली पर आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता से संबंधित "स्मारिका", "बस्तर दशहरा", मोनोग्राफ ओझा, "अबुझमाड़िया" एवं "परधान" जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन, अंग्रेजी भाषा में तैयार की गयी "कोल", "दोरला" फोटो हैण्डबुक पुस्तिका एवं जनजातीय वाद्य यंत्र पर आधारित "आदिनाद" वीडियोग्राफी का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया।



Aadi Nad



Abujharia



Ojha Janjati




Paradhan



Smarika



The Dorla



The Kol



Vachik Parampara







भाग - पाँच



फलैगशिप योजनाएँ

राजीव युवा उत्थान योजना

उद्देश्य :- पूर्व में यह योजना युवा कॅरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित थी। योजना अंतर्गत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। इसके तीन घटक हैं :-

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु :- देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजीव युवा उत्थान योजन के तहत द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। इस योजना अंतर्गत कुल 50 सीट्स स्वीकृत हैं एवं वर्ष 2021-22 में ड्रापर/रिपीटर बैच के अंतर्गत 15 अन्य सीटों को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्ष 2022-23 में योजना के माध्यम से कुल 50 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए हैं। अब तक कुल 129 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं। वर्ष 2023-24 में अभ्यर्थियों के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपलब्धियां :-

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपब्लिध	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि
I	II	III	IV	V
2020-21	50	44	99.10	60.46
2021-22	50	50	70.38	65.34
2022-23	50	50	189.21	170.38

छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी :- राजीव युवा उत्थान योजना के तहत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटें स्वीकृत हैं, जिसमें 50 सीटें जिला रायपुर तथा 50 सीटें जिला दुर्ग हेतु निर्धारित हैं।

क्र.	जिला	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
01	रायपुर	2018-19	17.69	50
02		2019-20	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
03		2020-21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
04		2021-22	31.19	100
05		2022-23	35.21	
06		2023-24	21.22	50
01	दुर्ग	2018-19	21.06	41
02		2023-24	21.22	50



एस.एस.सी., बैंकिंग, रेलवे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी :- राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें बैंकिंग, रेलवे, व्यापम तथा एस.एस.सी. जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जिला मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में कराई जाती है। योजना अंतर्गत प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 100-100 सीट इस प्रकार कुल 500 सीट्स स्वीकृत है। वर्ष 2022-23 से सभी 05 केन्द्रों में 6-6 माह के दो सत्र संचालित किये गये, इस तरह कुल 1000 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। यह कोचिंग पूर्णतः आवासीय है।

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
1	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर	2018-19	36.11	100
2		2019-20	27.68	100
3		2020-21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
4		2021-22	—	—
5		2022-23	39.62	100
6	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर	2018-19	13.88	100
7		2019-20	20.15	100
8		2020-21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
9		2021-22	—	—
10		2022-23	42.30	100
11	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	2018-19	9.76	100
12		2019-20	38.60	100
13		2020-21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
14		2021-22	—	—
15		2022-23	53.35	100
16	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, कबीरधाम	2018-19	20.61	100
17		2019-20	29.61	100
18		2020-21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
19		2021-22	—	—
20		2022-23	52.25	100
21	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नारायणपुर	2018-19	15.85	100
22		2019-20	41.20	100
23		2020-21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
24		2021-22	—	—
25		2022-23	57.10	100



आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री. मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना :- विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 (अनुसूचित जनजाति-64, अनुसूचित जाति-36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण हैं तथा ड्राप लेकर प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री.मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, के लिए यह योजना बनाई गई है।

उपलब्धियां :-

वर्ष	लाभान्वित अभ्यर्थियों की संख्या	मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		व्यय राशि
		NEET	JEE	
1	2	3	4	5
2021-22	91	15	05	77.17
2022-23	99	23	09	64.72

अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :-

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ0ग0 रायपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर एक मुश्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां :-

क्र.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
01	2021-22	01	01
02	2022-23	01	-
03	2023-24	01	02

○○○○○



मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित (LWE) जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर उनके जीवन में स्थायित्व पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में जब वामपंथ उग्रवाद चरमावस्था पर था और जिसके कारण जनजातीय क्षेत्रों में अनेक विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए फलस्वरूप विद्यार्थियों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए तत्कालीन समय में कई महत्वपूर्ण कदम राज्य शासन ने उठाया था। इसी क्रम में छ.ग. राज्य के तत्कालीन संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 26 जुलाई 2010 में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना लागू किया था।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के मुख्य चार घटक आस्था, निष्ठा, प्रयास एवं सहयोग है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. **आस्था** - नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिले में आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 01 से 12वीं तक अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष 2022-23 में बालक-99 तथा कन्या-97, इस प्रकार कुल 196 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
2. **निष्ठा** - इस योजना के अंतर्गत अशासकीय संगठनों/शालाओं के सहयोग से नक्सल हिंसा में मृत माता-पिता के बच्चों/पीड़ित परिवार के बच्चों को विभिन्न शालाओं में प्रवेश कराया गया।
3. **प्रयास** - नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराकर उनकी जीवन में स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। सर्वप्रथम वर्ष 2010 में राजधानी रायपुर में 200 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था। इन विद्यालयों में निजी कोचिंग संस्थाओं को रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयन कर अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभ से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जागरूक होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

वर्तमान में प्रयास आवासीय विद्यालयों की संख्या 14 हो चुकी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.	जिला	प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ संचालित हैं	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या			
					बालक	कन्या	योग	
1	रायपुर	बालक विद्यालय सड़डू, रायपुर	2010	800	706	—	706	
2	रायपुर	कन्या विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	2012	620	—	525	525	
3	बस्तर	सहशिक्षा विद्यालय जिला बस्तर	2013	500	274	183	457	
4	सरगुजा	सहशिक्षा विद्यालय जिला सरगुजा	2013	500	280	197	477	
5	दुर्ग	सहशिक्षा विद्यालय, जिला दुर्ग	2014	500	279	191	470	
6	बिलासपुर	सहशिक्षा विद्यालय जिला बिलासपुर	2014	500	255	186	441	
7	कांकेर	सहशिक्षा विद्यालय जिला कांकेर	2015	400	184	191	375	
8	कोरबा	सहशिक्षा विद्यालय जिला कोरबा	2018	400	174	173	347	
9	जशपुर	सहशिक्षा विद्यालय जिला जशपुर	2018	400	193	197	390	
10	बालोद	सहशिक्षा विद्यालय जिला बालोद	2022	125	72	47	119	
11	दुर्ग	नवीन प्रयास (अनु. जाति) बालक आवासीय विद्यालय, पाटन, जिला दुर्ग	2023	125	84	—	84	
12	रायपुर	नवीन प्रयास (अनु. जाति) कन्या आवासीय विद्यालय, जिला रायपुर	2023	125	—	68	68	
13	रायपुर	नवीन प्रयास (अ.पि. वर्ग) बालक आवासीय विद्यालय, जिला रायपुर	2023	125	93	—	93	
14	बिलासपुर	नवीन प्रयास (अ.पि. वर्ग) कन्या आवासीय विद्यालय, जिला बिलासपुर	2023	125	—	111	111	
योग					5245	2594	2069	4663

4. **सहयोग** - बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अलावा अनाथ बच्चों को पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने-जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।



कक्षा-10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम वर्ष 2017 से अब तक -

क्र.	सत्र	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	परीक्षा में शामिल विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	परिणाम प्रतिशत में
1	2017	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर	93	73	18	100%
2	2018	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर	86	79	05	97-6%
3	2019	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर	307	301	06	100%
4	2020	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर	1011	997	11	99-7%
5	2021	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर	1029	1029	00	100%
6	2022	कोविड-19 के कारण	--	--	--	--
7	2023	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर	1043	946	71	97.50%

कक्षा-12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रारंभ से अब तक -

सत्र/वर्ष	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	परीक्षा में शामिल विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	परिणाम प्रतिशत में
2012	बालक प्रयास सड्डू, रायपुर	250	171	75	100%
2013	बालक प्रयास सड्डू, रायपुर	137	134	03	100%
2014	प्रयास कन्या गुडियारी, रायपुर	272	225	40	98%
2015	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर	408	390	17	100%
2016	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	725	646	78	100%
2017	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	690	624	57	99.27%
2018	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	701	653	43	99.43%
2019	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, एवं जगदलपुर	783	703	63	97.80%
2020	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं कांकेर	792	710	50	98%
2021	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, एवं कांकेर	831	829	00	99.60%
2022	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, तथा जशपुर	979	852	87	95.91%
2023	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, तथा जशपुर	907	720	154	96.58%



वर्ष 2022-23 में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम निम्नानुसार है :-

क्र.	संस्था का नाम	सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	परिणाम प्रतिशत में
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर	183	170	12	99.45%
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुड़ियारी, रायपुर	128	123	04	99.22%
3	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, दुर्ग	122	112	09	99.18%
4	प्रयास बालक/कन्या आवासीय, विद्यालय बिलासपुर	106	82	20	96.22%
5	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर	120	101	08	90.83%
6	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जगदलपुर	106	98	08	100%
7	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कांकेर	94	88	04	97.87%
8	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जशपुर	95	95	0	100%
9	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कोरबा	89	77	06	93.26%
योग		1043	946 (90.69%)	71 (6.80%)	97.50%

वर्ष 2022-23 में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम निम्नानुसार है :-

क्र.	संस्था का नाम	सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	योग	प्रतिशत
1	प्रयास बालक सड्डू, रायपुर	111	80	25	105	94.59
2	प्रयास कन्या गुड़ियारी, रायपुर	96	92	02	94	97.91
3	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, दुर्ग	113	84	20	104	92.03
4	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, बिलासपुर	102	69	26	95	94.12
5	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय अंबिकापुर	95	65	29	94	98.95
6	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, जगदलपुर	102	85	15	100	98.04
7	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, कांकेर	97	75	19	94	97.94
8	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, कोरबा	84	67	15	82	97.62
9	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, जशपुर	107	103	03	106	99.07
योग		907	720 (79.38%)	154 (16.98%)	874	96.58



विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित/सफल विद्यार्थियों का विवरण :-

वर्ष	बैंच	आईआईटी व समकक्ष	एनआईटी व समकक्ष	इंजीनियरिंग कॉलेज	एम.बी.बी.एस.
2010-12	पहला	02	12	130	—
2011-13	दूसरा	01	20	45	01
2012-14	तीसरा	00	08	81	03
2013-15	चौथा	06	07	84	03
2014-16	पांचवा	06	30	92	12
2015-17	छठवा	08	40	96	08
2016-18	सातवा	18	17	85	—
2017-19	आठवा	11	41	82	08
2018-20	नौवा	18	51	77	04
2019-21	दसवां	27	35	61	05
2020-22	ग्यारहवां	10	44	83	03
2021-23	बारहवां	09	23	24	05
	योग	116	328	940	52

टीप :- विगत वर्षों में CA, CS, CMA से 29 तथा CLAT क्लैट से 04 विद्यार्थी सफल हुए।

- वर्ष 2022-23 के बोर्ड परीक्षा में विशिष्ट उपलब्धि :- प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर की छात्रा कु. चित्रांशी साहू ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में छठवां स्थान एवं कु. चांदनी पटेल ने दसवां स्थान प्राप्त कर विद्यालय एवं विभाग को गौरवान्वित किया है।
- वर्ष 2022-23 के प्रतियोगी परीक्षाओं में विशिष्ट उपलब्धि :- वर्ष 2022-23 में 09 विद्यार्थी आई.आई.टी., 23 विद्यार्थी एन.आई.टी., 24 विद्यार्थी इंजीनियरिंग तथा 05 विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेशित हुए हैं।

योजनांतर्गत विभाग द्वारा सफल छात्र-छात्राओं को निम्न सुविधाएँ/प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है -

- प्रयास विद्यालय के आई.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को 40 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन स्वरूप आगामी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रदान किए जाते हैं।
- IIT, NIT, IIIT, MBBS में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटॉप/लैपटॉप हेतु राशि प्रदान किया जाता है।







आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षकों के पद रिक्त रह जाते हैं क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रुचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इस वर्ग के विद्यार्थियों में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500-500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षकों की पूर्ति हेतु वर्ष 2013-14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटे हैं। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटे हैं। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने ने स्नातक-स्नाकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2023-24 में जिला दुर्ग में 484 बालिकाएं प्रवेशित हैं तथा जिला जगदलपुर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र में 132 बालक प्रवेशित हैं। वर्ष 2023-24 में राशि रुपये 256.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या), जिला- दुर्ग एवं (बालक) जिला- जगदलपुर							
क्र.	जिला	वर्ष	नवीन प्रवेशित (प्रथम वर्ष)		नवीनीकरण की संख्या		कुल अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की संख्या
			छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुर्ग	2022-23	—	150	—	332	482
2		2023-24	—	88	—	396	484
3	जगदलपुर	2022-23	46	—	118	—	174
4		2023-24	52	—	80	—	132

जिला :- दुर्ग

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी.	एम. कॉम		
98	100	63	100	21	102	484

जिला :- जगदलपुर

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी.	एम. कॉम		
20	49	23	28	6	6	132



अन्य योजनाएं

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

यह भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए "मल्टी सेक्टरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम" (संशोधित योजना का नाम-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत कुल 1002 कार्य स्वीकृत है, जिसमें 732 कार्य पूर्ण, 16 कार्य प्रगतिरत एवं 176 कार्य अप्रारंभ है। केन्द्रांश राशि रु. 2784.09 लाख एवं राज्यांश रु. 1439.41 लाख, इस प्रकार कुल रु. 4223.50 लाख जिला जशपुर को योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनराबंटित की गई है।

आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्नयन

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग की अनेक संस्थाओं का आदर्श छात्रावास के रूप में उन्नयन किया गया, ताकि बच्चों को एक बेहतर वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बस्तर संभाग के 07 जिलों के प्रत्येक जिले में 10 छात्रावास/आश्रम तथा जिला गरियाबंद एवं धमतरी में 05-05 छात्रावास/आश्रम शालाओं के उन्नयन हेतु (कुल 80 संस्थाओं के लिए) राशि रु 25.00 लाख प्रति भवन के मान से बजट जारी कर संस्थाओं को आदर्श संस्था के रूप में विकसित किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरगुजा संभाग के 04 जिलों क्रमशः सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर एवं कोरिया में प्रत्येक जिले में 10 छात्रावास/आश्रम एवं जशपुर जिले में 12 छात्रावास/आश्रम, इस प्रकार कुल 52 संस्थाओं को तथा कोरबा जिले में 12 एवं GPM में 06, इस प्रकार कुल 70 संस्थाओं को आदर्श छात्रावास के रूप में उन्नयन किया जाना क्रियान्वित किया गया।



वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला मुंगेली, बलौदाबाजार एवं बेमेतरा में 5-5, जिला दुर्ग, रायगढ़ एवं रायपुर के 10-10 तथा जिला बालोद, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, महासमुंद, कबीरधाम एवं राजनांदगांव की 8-8 संस्थाओं, इस प्रकार कुल 93 छात्रावास/आश्रम शाला भवनों को आदर्श संस्था के रूप में उन्नयन किया गया है। छात्रावास/आश्रम शाला भवनों के आदर्श रूप में उन्नयन हेतु राशि रू. 2325.00 लाख की स्वीकृति विभाग द्वारा की गई है। कार्यों को पूर्ण करा लिया गया है। संस्थाओं को आदर्श संस्था के रूप में उन्नयन किए जाने की कार्यवाही आगामी वर्षों में भी निरंतर जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के समस्त जिलों में 1243 छात्रावास/आश्रमों में अनुरक्षण अंतर्गत 500 संस्थाओं में गोबर पेंट एवं रखरखाव का कार्य लिया गया, जिसमें राशि रू 11878.50 लाख का बजट प्रावधान किया गया। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 44 नवीन एकलव्य आदर्श विद्यालयों में छात्रों की आवासीय सुविधा हेतु 86 छात्रावास/आश्रमों में प्री.फेब्रिकेटेड शयन कक्ष एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रू 2765.76 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान में आहाता निर्माण :-

योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि रू. 150.00 लाख राशि का प्रावधान है। उक्त प्रावधान में से राशि रू 150.00 लाख का आबंटन जिलों को पुनर्बांटा किया जा चुका है।







भाग - ६:



सारांश

छत्तीसगढ़ संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भू-भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ट संस्थाओं के रूप में क्रीड़ा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र-छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर तथा कोरबा, जशपुर जिलों में भी 'प्रयास' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है। विभागीय शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावास/आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण/स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी वर्तमान क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों से भिन्न होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सकें।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए हैं ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना



क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ-साथ नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूचित वर्गों की अस्मिता तथा सम्मान के प्रति विभाग प्रारंभ से ही सजग रहा है। इसी के फलस्वरूप सेक्टर-24, नवा रायपुर, अटल नगर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आदिवासी संग्रहालय आकार ले रहा है तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश से अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह की पावन स्मृति में प्रदेश के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को दर्शाने हेतु स्मारक सह संग्रहालय की भी स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार नया रायपुर में गुरु घासीदास संग्रहालय एवं शोधपीठ स्थापना की घोषणा भी की गई है। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में भी विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यकलाप एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शालाएं और छात्रावास/आश्रम बंद होने के कारण छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण/कॉचिंग के माध्यम से अध्यापन तैयारी कराई जा रही है। इसके फलस्वरूप विभाग की प्लैगशिप योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम तथा विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को अवसर में बदलने में विभाग तत्परतापूर्वक कार्य कर रहा है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समावेशी विकास की इस यात्रा में विभाग हितप्रहरी के रूप में चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।







**आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग**